प्रेस नोट,जनपद जालौन
दिनांक 14.08.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना कुठौन्द पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को चोरी के ट्रैक्टर मय कल्टीवेटर(अनुमानित कीमत 3,00,000/- रुपये) के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

दिनांक 12.08.2025 को वादी श्री रामकिशोर पुत्र स्व. श्री शिवचरन निवासी ग्राम पीपरी गहरवार थाना कुठौन्द जनपद जालौन द्वारा थाना कुठौन्द में तहरीरी सूचना दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के बाडे में खडा ट्रैक्टर मय कल्टीवेटर चोरी कर लेना। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कुठौन्द में मु0अ0सं0 138/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 13.08.2025 को थाना कुठौन्द पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं सुरागरसी-पतारसी व वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बंशीधर महाविद्यालय के पास ग्राम आल विजवाहा को जाने वाली सड़क से अभियुक्त आदित्य प्रताप उर्फ छोटू पुत्र मदन मोहन सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम नौरेजपुर थाना कुठौन्द जनपद जालौन को स्वराज ट्रैक्टर UP-92-AC-0166 मय कल्टीवेटर गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी। बरामदगी के सम्बन्ध में उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. आदित्य प्रताप उर्फ छोटू पुत्र मदन मोहन सिंह उम्र करीब 20 वर्ष नि0 ग्राम नौरेजपुर थाना कुठौन्द जनपद जालौन

अभि0 आदित्य उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 268/2024 धारा 115(2)/117(2)/352/351(2) बीएनएस थाना कुठौन्द जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0 99/2025 धारा 115(2)/117(2)/352/351(2) बीएनएस थाना कुठौन्द जनपद जालौन
3. मु0अ0सं0 138/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना कुठौन्द जनपद जालौन।

बरामदगी-

1. 01 अदद स्वराज ट्रैक्टर UP-92-AC-0166 रंग नीला मय कल्टीवेटर(अनुमानित कीमत 3,00,000/- रुपये)

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 थाना कुठौन्द मय पुलिस टीम